

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
45/2025

दायर दिनांक
13.01.2025
उनवान

निर्णय दिनांक
03.02.2025

1. श्री मनोहरलाल पुत्र मिठुलाल चण्डालिया निवासी म0न0 19 वर्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र कजोड भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. उगमी पत्नी बद्री भील निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. रमेशकुमार पुत्र महादेव मीणा, निवासी नणंद भोजाई भवन कॉलेज के सामने शाहपुरा।
4. मोहम्मद इकबाल पुत्र निजवान छीपा मुसलमान निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।


— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रवण कुमार सेन।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालडी, पटवार हल्का— पालडी, भू.अ.नि. क्षेत्र—महुआकलां, तहसील व जिला— भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 तक में दर्ज खाता संख्या नया 564 पुराना 536 में वर्णित आराजी संख्या 2950/2448 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 4 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालडी, पटवार हल्का- पालडी, भूअ.नि. क्षेत्र-महुआकलां, तहसील व जिला- भीलवाडा के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 तक में दर्ज खाता संख्या नया 564 पुराना 536 में वर्णित आराजी संख्या 2950/2448 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

सहायक अधिकारी
भीलवाडा